



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 978]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2014/वैशाख 11, 1936

No. 978]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2014/VAISAKHA 11, 1936

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY
ALLEVIATION

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 1 मई, 2014

New Delhi, the 1st May, 2014

का.आ. 1185(अ).—केन्द्रीय सरकार, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 मई, 2014 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

S.O.1185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2014 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[फा. सं. के-14015/1/2011-यूएसडी]

[F.No. K-14015/1/2011-USD]

बी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

B. K. AGARWAL, Jt. Secy.